देहरादून स्मार्ट सिटी लि0

777, सात्विक टावर, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्र नगर देहरादून–248001

E mail –smartcity-dscl@uk.gov.in दूरभाष : +91–135–2750984, फैक्स : +91–135–2750817

DEHRADUN SMART CITY LTD.

संख्या. डी0एस0सी0एल0–150–07(2018)/1/2021–Acc. दिनांकः 09 अगस्त 2021

किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
देहरादून स्मार्ट सिटी लि0
777, सात्विक टावर,
कौलागढ़ रोड़,
राजेन्द्र नगर, देहरादून
पिन – 248001

देहरादून स्मार्ट सिटी लि0

777, सात्विक टावर, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्र नगर देहरादून–248001

E mail –smartcity-dscl@uk.gov.in दूरभाष : +91–135–2750984, फैक्स : +91–135–2750817

Govt. of Uttarakhand

वाहन सुविधा हेतु ई–टेण्डर नोटिस

- कार्य का नामः देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में एक वर्ष के लिये (जो दो वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है) किराये के छोटे/बड़े वाहनों की आपूर्ति।
- पोर्टल www.uktenders.gov.in से निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जाने हेतु तिथि एवं समयः दिनांक 10 अगस्त, 2021 प्रातः 11:00 बजे।
- पोर्टल पर टैण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समयः दिनांक 25 अगस्त, 2021 अपराह्न 05:00 बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी का नाम एवं पताः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
- तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि, समय एवं स्थानः 26 अगस्त, 2021 प्रातः 11:00 बजे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड 777, सात्विक टॉवर, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्र नगर देहरादून–248001
- अनुमानित वाहन की संख्या–07 (जो आवश्यकता अनुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है)।
- टैण्डर फीसः धनराशि रू0 1,000/– (रू0 एक हजार मात्र)+ GTS @ 18%=Rs 1180/-
- धरोहर राशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी घोषणा पत्र उ0 शासन के शासनादेश संख्या -121(1)/XXVII(7)/21-32/2007 Date 29/04/2021 के अनुसार जमा किया जायेगा।
- आगामी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/रद्धिकरण आदि का विवरण वैबसाईट http//uktenders.gov.in and/or smartcitydehradun.uk.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
- पोर्टल में पंजीकरणः निविदा में प्रतिभाग करने के इच्छुक निविदादाता अपनी सक्रिय निजी/कार्यालय ई–मेल आई0डी0 को लॉग ईन आई0डी के रूप में एवं अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को विशिष्ट लॉग इन आई0डी0 के रूप में संलग्न कर पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निम्नवत् सम्पर्क किया जा सकता हैः–
  ई0मेलः smartcity-dscl@uk.gov.in /fcdehradunsmartcity@gmail.com

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देहरादून स्मार्ट सिटी लि0

1. परिचय

देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून के कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के पैट्रोल/डीजल चलित वाहनों हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर पंजीकृत ट्रैवल्स एजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरों से ई–निविदाऐं निम्नवत् आमन्त्रित की जाती हैः–

क्र0सं0	विवरण	वाहन संख्या	स्थान
1	एक वर्ष के लिये किराये के वाहनों की आपूर्ति (जो आवश्यकता अनुसार अधिकतम दो वर्षो के लिये बढ़ायी जा सकती है)	07 (जो आवश्यकता अनुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है)	देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 777, सात्विक टावर, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्र नगर देहरादून पिन – 248001

2. निविदा प्रपत्रों का क्रय–विक्रय एवं जमा किये जाने हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	समय
1	पोर्टल पर निविदा प्राप्त किये जाने हेतु तिथि एवं समय	10.08.2021	प्रातः 11:00 बजे
2	पोर्टल पर निविदा जमा कराये जाने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय	10.08.2021	प्रातः 11:00 बजे
3	पोर्टल पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.08.2021	अपराह्न 05:00 बजे
4	तकनीकी निविदा खोलने हेतु दिनांक एवं समय	26.08.2021	प्रातः 11:00 बजे
5	वित्तीय निविदा खोलने हेतु दिनांक एवं समय		तकनीकी निविदा के पश्चात

3. निविदा प्रपत्रों का तैयार किया जाना

निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा। निविदादाताओं की अर्हता तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के अंतर्गत स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार कर प्रपत्र–1 पर एवं वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र–2 पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेगी। निविदा प्रपत्र को वैबसाइट http://uktenders.gov.in मे ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा।

4. निविदा का चयन

तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी। वित्तीय निविदा में समस्त प्रकार के वाहन के सापेक्ष Quoted Rate का कुल योग, जिस निविदादाता का सबसे कम होगा (L1) उनको ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। बिना कारण बताये समस्त या किसी भी निविदा को निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सुरक्षित रहेगा।

5. निविदा के नियम एवं शर्तेंः–

निविदादाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। सभी प्रमाण–पत्र निविदा की तिथि को वैद्य अवधि में होने चाहियेंः–

1. पैन नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।
2. जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि जी0एस0टी0 हेतु आवेदन किया गया है तो तत्सम्बन्धि प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।
3. परिवहन विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म के पास कम से कम 03 वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने अनिवार्य हैं।
6. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि (Earnest Money) सम्बन्धी घोषणा पत्र उ0 शासन के शासनादेश संख्या -121(1)/XXVII(7)/21-32/2007 Date 29/04/2021 के अनुसार जमा किया जायेगा। धरोहर राशि घोषणा पत्र संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आपूर्ति किये जाने वाले वाहन उत्तम गुणवत्ता (Excellent Condition) वाले होने चाहिये। वाहन की आन्तरिक साज सज्जा यथा–सीट कवर, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी आवश्यक है।
8. आपूर्तिकर्ता को नवीनतम मॉडल के वाहन उपलब्ध कराने होंगे। अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा को निरस्त कर L2 को कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है।
9. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वाहन व वाहन चालक की स्वच्छता (हाईजीन) व सुरक्षा के मानकों का अनुपालन आपूतिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
10. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के चलते बदले जाने हेतु कहने पर वाहन तत्काल बदलना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदादाता तत्काल वाहन उपलब्ध नहीं कराता है, तो ऐसी दशा में अन्य फर्म से वाहन लिया जायेगा। यदि अन्य फर्म द्वारा अनुबन्धित दरों से अधिक का बिल प्रस्तुत किया जाता है तो अन्तर धनराशि का भुगतान/समायोजन अनुबन्धित फर्म के बिलों से ही किया जायेगा।
11. वाहन पर तैनात किये जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक चलाने की दृष्टि से स्वस्थ (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का मृदभाषी व अनुशासित होना अनिवार्य है।
12. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट, बीमा, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित, संचालित स्थिति में एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
13. वाहन नियमानुसार सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तकनीकी निविदा के साथ वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण–पत्र आदि (वैध) रखना अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी, चालक लाईसेन्स आदि पर समस्त व्यय सभी प्रकार से सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
14. आवश्यकता अनुसार शासकीय कार्यो के निष्पादन हेतु वाहन की उपलब्धता अवकाश अवधि में भी सुनिश्चित की जायेगी।

15. आपूर्ति किया जाने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम 1985 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होगा। किसी भी निजी वाहन (**Non Commercial/Private Vehicle**) की आपूर्ति नही की जायेगी।
16. सम्बन्धित अनुभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
17. आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग द्वारा मांगे जाने वाले वाहन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि आपूर्तिकर्ता उक्त वाहन को तत्काल उपलब्ध नहीं करवाता है, तो अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास निहित होगा।
18. मार्ग में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
19. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (**Imprest Cash**) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
20. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (**Break Down**) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन को वयवस्था करने के लिये अधिकृत होगा।
21. आपूर्तिकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी में सम्बन्धित सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
22. आपूर्तिकर्ता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जायेगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।
23. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
24. ईंधन की आपूर्ति का व्यय दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा। दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुये उसे सक्षम अधिकारी से पदनाम की मोहर सहित सत्यापित कराकर प्रस्तुत देयक का ही भुगतान किया जायेगा।
25. वाहन में लॉगबुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।
26. वाहन में नियमानुसार अपनी टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र आदि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
27. निविदा की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी तथा आपसी सहमति अथवा आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अवधि 02 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
28. वाहन की सेवा समय से एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने की दशा में नोटिस देते हुए अनुबन्ध निरस्त करने एवं जमानत धनराशि जब्त करने तथा विभाग में ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निहित होगा।
29. फर्म द्वारा दी गयी दरों में एयर कंडीशनर का उपयोग सम्मिलित होगा। उपयोगकर्ता अधिकारी की मांग पर ए0सी0 चलाना होगा।

30. तकनीकी निविदा अपलोड करने के साथ ही निम्न अभिलेख मूल रूप में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड 777, सात्विक टावर, कौलागढ़ रोड़, राजेन्द्र नगर देहरादून–248001 में दिनांक 25 अगस्त, 2021 समय अपराह्न 05:00 बजे तक जमा कराने अनिवार्य हैः–

(अ) किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किये जाने का शपथ पत्र नाम ज्यूडीशियल पेपर पर।

(ब) टेण्डर फीस का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(स) धरोहर राशि सम्बन्धी घोषणा पत्र ।

6. <u>भुगतान की स्थितिः–</u>

(क)– किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 30 दिन में बजट की उपलब्धता होने की दशा में किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान व समय, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तवय स्थान, दूरी किलोमीटर आदि विवरण संलग्न करना होगा। लॉगबुक में त्दानुसार प्रविष्टियां की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी लॉगबुक की प्रविष्टियों को भी सत्यापित करेगा। यात्रा प्रारम्भ का स्थान कार्यालय अथवा अधिकारी का निवास स्थान जैसी भी स्थिति हो माना जायेगा। वाहन चालक को किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

(ख)– आयकर नियमों के अनुसार भुगतान के समय आयकर (**TDS**) एवं **GSTTDS** की कटौती की जायेगी।

7. <u>सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण</u>

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित की प्रतिभूति को जब्त करते हुये अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा।

(क)– यदि आपूर्तिकर्ता तीन बार समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(ख)– आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नही है।

8. <u>वित्तीय बिडः–</u>

(क) वित्तीय बिड इस प्रपत्र में संलग्न प्रपत्र–2 (बी0ओ0क्यू0) पर तैयार की जायेगी। वित्तीय निविदा में किराये की दर तथा कर आदि अलग–अलग स्पष्ट प्रदर्शित किये जायेंगे। मासिक एवं दैनिक किराये की दरों में वाहन, चालक, मेन्टिनेन्स, वाहन के अभिलेखों से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं का व्यय आदि सम्मिलित होगा, जी0एस0टी0 की दरें अलग से दी जायेंगी। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अनुसार लागू जी0एस0टी0 की दरों के अनुसार भुगतान जारी किया जायेगा।

(ख)–पैट्रोल/डीजल चलित वाहनों के प्रकार के अनुसार दूरी (कि0मी0) दिन आदि मानकों को ध्यान में रखते हुये दरें अंकित की जाये। दर शब्दों मे भी स्पष्ट लिखी होनी चाहिए। वाहनों में पैट्रोल/डीजल चलित टोयटा इनोवा, होन्डा सिटी, सियाज, वरना, स्वीफ्ट डिजायर, ह्युंडई एक्सेंट, अमेज, स्कार्पियो, जायलो, टी.यू.वी., क्रेटा आदि की दरें दी जायेगी। समस्त गाडियों के देहरादून से बाहर जाने पर रू0 200/– प्रति रात्रि विश्राम देय होगा। डीजल की खपत उक्त अनुपात के अनुसार कुल चले गये किलोमीटर के आधार पर आंगणित की जायेगी।

9. <u>कर एवं अन्य देयकों का भुगतानः–</u>

(क)– सभी प्रकार टौल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और

उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा की जायेगी।
(ख)– अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में यात्रा की निर्धारित अवधि हेतु अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा की जायेगी।

10. आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रीमिक अधिनियम, पी0एफ0, ई0एस0आई0, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा। (जहाँ लागू हों)

मै श्री .... पुत्र श्री .... फर्म/स्वामी.. घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिये मै स्वयं उत्तरदायी होउँगा।

मै लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा के सभी नियम व शर्ते मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मै इच्छूक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है, तो मै रू0 100/– (रू0 एक सौ मात्र) के गैर अदालती पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर
पता

तकनीकी निविदा
प्रपत्र–1

1:– नाम निविदादाता / फर्म का नामः–..

2:– पताः–..

3:– परिवहन विभाग का पंजीयन संख्या ....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4:– जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या ....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5:– पैन नम्बर संख्या ....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6:– टैण्डर फीसः धनराशि रू0 1,000 / – (रू0 एक हजार मात्र)+GST@18%=Rs 1180.00

7:– धरोहर राशि (ई0एम0डी0) सम्बन्धी घोषणा पत्र उ0 शासन के शासनादेश संख्या -121(1)/XXVII(7)/21-32/2007 Date 29/04/2021 के अनुसार जमा किया जायेगा।

8:– (अ)– फर्म स्वामी द्वारा स्थायी पते हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(ब)– फर्म के पंजीयन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

(स)– मान्यता प्राप्त प्रदूषण केन्द्र से समस्त वाहनों का प्रदूषणरहित प्रमाण– पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(द)– उपरोक्त क्रमांक 01–08 के सम्बन्ध में प्रत्येक जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी कमी के अभाव में निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

(च)– किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किये जाने का शपथ पत्र नान ज्यूडीशियल पेपर पर, टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि (Earnest Money) के प्रमाण पत्र / अभिलेख आदि मूल रूप से इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2021 अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।

(ज)– निविदा निरस्त करने के समस्त अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निहित होंगे।

(झ)– न्यायिक वाद का क्षेत्र मुख्यालय देहरादून होगा।

मै श्री .... पुत्र श्री .... फर्म / स्वामी .... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप दी गयी सभी जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की कोई असत्यता पायी जाती है तथा निविदा निरस्त की जाती है, तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर /
मोहर
पता

वित्तीय निविदा

प्रपत्र–2

Item Wise BoQ

Name and Address of the Bidder/ Bidding Firm/ Company:									
				Number	Text	Number	Text	Number	Text
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	Type of Vehicle	Qty for rates	Units	Rental rates upto 2500 KM on **monthly** basis **with fuel** (taxes extra) Rs.	Rental rates upto 2500 KM on **monthly** basis **with fuel** (taxes extra) I**n words**	Rental rates **upto 100**KM on **daily basis with fuel** (taxes extra) Rs.	Rental rates **upto 100** KM on **daily basis with fuel** (taxes extra) **In words**	Rental rates for extra KM (Rs. per KM) (taxes extra) Rs.	Rental rates for extra KM (Rs. per KM) (taxes extra) **In words**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Toyota Innova (with AC)	1	No						
1.02	Honda City /Ciaz/Verna (with AC)	1	No						
1.03	Swift Desire /Honda Amaze/ Hyundai Xcent (with AC)	1	No						
1.04	Scorpio/ Xylo/TUV 300/Creta (with AC)	1	No						
	Total								